कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला सामान्य शाखा)

आदेश

थानाध्यक्ष, परबत्ता थाना के डी0 आर0 नं0–625/18, दिनांक 26.05.2018 द्वारा प्राप्त सूचना के आलोक में श्री गोपाल कुमार सिंह, पे0–स्व0 योगेन्द्र सिंह, सा0–माधोपुर, थाना– परबत्ता, जिला–खगड़िया के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–02/2015 (परबत्ता थाना) के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति के शर्तो का उल्लंघन करने के आरोप में स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से मन्तव्य की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2957/गो0, दिनांक 30.07.2018 के द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति के शर्तो का उल्लंघन करने के कारण शस्त्र अनुज्ञप्ति रदद् करने की अनुशंसा की गयी। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त मन्तव्य के आधार पर इस कार्यालय के ज्ञापांक 780/जी0, दिनांक 27.08.2018 के द्वारा श्री गोपाल कुमार सिंह, पे0–स्व0 योगेन्द्र सिंह, सा0–माधोपुर, थाना–परवत्ता जिला–खगड़िया के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–02/2015 (परबत्ता थाना) को रदद् कर दिया गया था।

शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा रदद् किये गये शस्त्र अनुज्ञप्ति के विरूद्व आयुक्त, मुगेंर प्रमंडल, मुंगेर के न्यायालय में शस्त्र अपील वाद सं0–101/2018 दायर की गयी। आयुक्त, महोदय के द्वारा सुनवाई के उपरांत रदद् किये गये शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–02/2015 के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के द्वारा भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृति नहीं होने एवं अनुज्ञप्ति के शर्तो का उल्लंघन नहीं करने संबधी शपथ–पत्र प्राप्त करने का निदेश देते हुए रदद् शस्त्र अनुज्ञप्ति को पुनः बहाल करने का आदेश दिनांक 08.03.2019 को दिया गया। पारित आदेश आयुक्त के सचिव, मुगेर प्रमंडल, मुगेंर के पत्रांक 1461, दिनांक 11.03.2019 के द्वारा कार्यालय मे प्राप्त है। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा इस संबंध में शपथ–पत्र दाखिल किया गया है।

अतः शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त शपथ–पत्र एवं आयुक्त महोदय, से प्राप्त आदेश के आलोक मे इस कार्यालय के ज्ञापांक 780/जी0, दिनांक 27.08.2018 के द्वारा श्री गोपाल कुमार सिंह, पे0–स्व0 योगेन्द्र सिंह, सा0–माधोपुर, थाना–परबा जिला– खगड़िया के नाम से रदद् किये गये शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0– 02/2015 (परबत्ता थाना) को **पुनः बहाल** की जाती है, एवं शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को आदेश दिया जाता है कि उनके द्वारा भविष्य मे इस प्रकार के घटना की पुनरावृति न की जाय।

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक – IV-16/2019 495 / जी0, दिनांक 13.6.19

प्रतिलिपि : श्री गोपाल कुमार सिंह, पे0–स्व0 योगेन्द्र सिंह, सा0– माधोपुर, थाना– परवत्ता, जिला– खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, परवत्ता, जिला–खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी / अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया / जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

13/6/19

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।